स्पीड पोस्ट/कैम्प बेग द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

दूरभाष सं. 011-23052246
फैक्स 011-23052001
वेबसाइट : www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं.78/ईपीएस/2019 दिनांक: सितंबर, 2019

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन, 2019- **सवेतन अवकाश दिया जाना-**तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

आयोग ने दिनांक 21, 22 और 24 सितंबर, 2019 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/84/2019, ईसीआई/प्रेस नोट/85/2019 और ईसीआई/प्रेस नोट/87/2019 के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन, 2019 हेतु अनुसूची की घोषणा की है, जो आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर प्रेस विज्ञप्ति नामक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। इस संबंध में, आपका ध्यान मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिए जाने का उपबंध किया गया है। धारा 135ख नीचे पुन:प्रस्तुत की गई है:-

"135ख मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

1. किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

2. उपधारा (1) के अनुसार दिए जाने वाले अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी नहीं मिलेगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए उतनी ही मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या कोई बड़ी हानि हो सकती है।

2. उपर्युक्त उपबंध अपेक्षा करते हैं कि ऐसे सभी निर्वाचकों जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी हैं तथा वे भी, जो पारी के आधार पर काम करते हैं, उनको उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा जहां साधारण निर्वाचन आयोजित किया जाना है। इसके अलावा, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र का सामान्य रूप में निवासी हो और एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो लेकिन साधारण निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर अवस्थित औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत/नियुक्त हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर काम करने वाले वे निर्वाचक भी, जिनमें अनियत मजदूर शामिल हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख (1) के अंतर्गत दिए गए सवेतन अवकाश के हितलाभ के हकदार होंगे।

3. दैनिक मजदूर/अनियत कामगार मतदान दिवस के दिन अवकाश और मजदूरी के भी हकदार हैं जैसा कि लो.प्र. अधिनियम, 1951 की धारा 135ख में उपबंध किया गया है।

4. आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जाएं और उनकी एक प्रति आयोग के सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु पृष्ठांकित की जाए।

5. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(संजीव कुमार प्रसाद)

अवर सचिव

प्रति:- संबंधित जोनल अनुभाग